

401 151 EPL क (उ), खनि पर उशरि मं अ
 51V 1 क खनि कय/ने निबन्ध कय
 निबन्ध एउं उशरि मं खनि क यत्र
 8M R M क (कय) खनि मं कय
 51M 2 कय/ने क, उवलुम कय 23
 31 कय एत 151 EPL क एउं कय
 41 कय एत एत कय 8 M R M क
 कुन 40 क. कय 16, 17/2, 24/1, 25 कुन
 41 कय 18 क 22 कुन 6) कय 14/2, 19,
 20/2, 21-22 कुन 3.379 क कय कय कय
 कय कय कय कय 1 2 कय कय कय कय
 कय कय कय कय कय कय कय कय
 कय कय कय 1 कय कय 1/2, 1/3 कय


नम्बर व तारीख
फर्द अहकाम की
हुक्म की तारीख
जारी हुआ

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

तारीख हुक्म

जारी हुआ

व ५ तिकरी स २ व ५ व स युक्त ७५
से ५९ हिल्ल व वारन डिल के वी व
कु म व न न व ५ व ५ व ५ व ५ व ५ व ५ व
२६/ के व व व व व व व व व व व व
व व व व व व व व व व व व व व व व
कारि व व


उपवर्गडीधिकारी (राजस्थ,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 114/18

अनवान :

1. भालसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

—वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र जागर जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सुरेश देवी पत्नी स्व० जयवीर पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. यशिका पुत्री जयवीर
4. दीक्षा पुत्री जयवीर
5. दिवेश पुत्र जयवीर
6. संतोष देवी पुत्री कुरड़ाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

नाबालिगान जरिये कुदरतवली माता सुरेश देवी पत्नी स्व० जयवीर पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अनुतोष वाद-पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प महराना में वकीलवादी श्री सुनील बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 MRN के मु०न० 12 के किला न० 1,2, 9 ता 12, 19,20 मु०न० 13 के किला न० 1 ता 4, 5/2, 6/2, 7/2, 8ता 13, 14/1, 15,16,17/2, 18 ता 20 मु०न० 14 के किला न० 1 ता 24 मु०न० 15 के किला न० 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु०न० 24 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 15 मु०न० 25 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 14 कुल 22.872 है० नहरी व बारानी मय रास्ता खाला वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी भालसिंह व प्रतिवादी कुरड़ाराम दोनों 1/9-1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/9 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 6 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

संसोधित पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 114/18

अनवान :

1. भालसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

—वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र जागर जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सुरेश देवी पत्नी स्व० जयवीर पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. यशिका पुत्री जयवीर
4. दीक्षा पुत्री जयवीर
5. दिवेश पुत्र जयवीर
6. संतोष देवी पुत्री कुरड़ाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।


—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अनुतोष वाद—पत्र अर्न्तगत
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प महराना में वकीलवादी श्री सुनील बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 MRN के मु०न० 12 के किला न० 1,2, 9 ता 12, 19,20 मु०न० 13 के किला न० 1 ता 4, 5/2, 6/2, 7/2, 8ता 13, 14/1, 15,16,17/2, 18 ता 20 मु०न० 14 के किला न० 1 ता 24 मु०न० 15 के किला न० 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु०न० 24 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 15 मु०न० 25 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 14 कुल 22.872 है० नहरी व बारानी मय रास्ता खाला तथा चक 8 MRN के मु०न० 40 किला न० 16, 17/2, 24/1, 25 मु०न० 41 किला न० 18 ता 23 मु०न० 67 किला न० 11/2, 19, 20/2, 21, 22 कुल 3.379 है० नहरी—बारानी मय खाला दोना चको की वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी भालसिंह व प्रतिवादी कुरड़ाराम दोनों 1/9—1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/9 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 6 नें वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04 जुलाई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राजकुमार कस्वा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़